10 1

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म0प्र0 निगरानी 723-III-15

श्री त्रिभुवनेश तिवारी एड. द्वारा पेश 13.3.15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES विलोपित

लक्ष्मी देवी शर्मा पत्नी श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा उम्र 70 वर्ष, पेशा शिक्षिका रिटायर्ड, निवासी ग्राम मड़वास, तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0

—————निगराकार

76
13.3.15

बनाम

मुनीष प्रसाद बारी पिता हनुमान बारी निवासी मड़वास, तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0

—————गैरनिगराकार

क्रमांक 4805
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध नायब तहसीलदार उपतहसील मड़वास, तहसील मझौली, के राजस्व प्रकरण क0–13ए/12/13–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23.12.2014 में।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर्

निगरानी के आधार निम्न हैं :–

1– यहकि नायब तहसीलदार, उपतहसील मड़वास, तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0 जिसे आगे अधीनस्थ न्यायालय के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, के द्वारा राजस्व प्रकरण क0–13ए/12/13–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23.12.2014 विधि एवं न्यायिक प्रकिया के विपरीत होने से प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त किये जाने काबिल है।

2– यहकि गैर निगराकार मुनीष प्रसाद बारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 129 म0प्र0भू0राजस्व संहिता के अन्तर्गत आराजी खसरा क0–198 रकवा 0.709हे0 जो गैरनिगराकार की भूमि के सम्बन्ध में सीमांकन किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 723–तीन/2015 **जिला–सीधी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–9–2015	आवेदक की ओर से श्री त्रिगुण सेन तिवारी अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा खसरा कमांक–198 रकवा 0.709 है का सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर से राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक–25.6.14 को सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । सीमांकन के संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गयी । जानकारी होने पर आवेदक द्वारा उक्त सीमांकन के संबंध में तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गयी । आवेदक की आपत्ति पर गौर न करते हुए आपत्ति को निराधार मान कर निरस्त कर दिया गया, जवकि वास्तविकता यह थी कि आवेदक को कोई सूचना उक्त सीमांकन के संबंध में नहीं दी गयी जवकि आवेदक सदहरी कास्तकार था । इसके अतिरिक्त वहीं तथ्य बताए जो निगरानी मेमों में अंकित है । उक्त सीमांकन निरस्ती योग्य है, निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया । उक्त संबंध में निगरानी मेमों के संलग्न अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया । जिसके अवलोकन से आवेदक अधिवक्ता के उक्त तर्को की पुष्टि होती है । पंचनामा में भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है । ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 25.6.14 को किये गये सीमांकन को तहसीलदार द्वारा पुष्टि करने संबंधी आदेश दिनांक–23.12.14 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष सहित सरहदी कास्तकारों की उपस्थिति में पटवारी नक्शा एवं अभिलेख से यह सुनिश्चित करते हुए कि सीमांकन हेतु प्रस्तावित खसरा के बगल से जितने भी सरहदी कास्तकार हैं सब को सीमांकन की सूचना दी जाकर सीमांकन की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी इसी स्तार पर समाप्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	